

in adverse possession by both India and Bangladesh are to be eventually exchanged by the two Governments in accordance with the 1974 Indo-Bangladesh Land Boundary Agreement. It will, however, be possible to assess the exact areas which will fall in India or Bangladesh only after strip maps are jointly prepared and demarcation completed.

भारतीय खाद्य निगम की हरियाणा शाखा में पड़ी घटिया खाद का निपटान

@869. क० श्री सत्य प्रकाश नालवीय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम की हरियाणा शाखा में 21,935 टन घटिया खाद का भंडार पिछले कई वर्षों से पड़ा हुआ है और इस पर अब तक साठ लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन घटिया खाद को खरीदने के इच्छुक एकरों को निर्यात परमिट दिखाने के निदेश दिये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन घटिया खाद को बिक्री एवं निपटान हेतु कोई काम उठाया है ; यदि हाँ, तो उनका गौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने भंडारण पर हो रहे 10 लाख रुपये के वार्षिक खर्च को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हाँ । 29-2-1984 को भारतीय खाद्य निगम की हरियाणा शाखा के पास 21,937 मीटरो टन घटिया उर्वरक पड़ा हुआ था । इन भंडारों का जमा होना एक सामान्य प्रक्रिया है जो मंभाल और लम्बी अवधि के भंडारण के कारण होता है । ये भंडारण अविकोजनः हरियाणा राज्य भांडगार निगम तथा

केन्द्रीय भांडगार निगम के गोदामों में संचित किए जाते हैं । भारतीय खाद्य निगम इन एजेंसियों को प्रतिमाह 3.50 रु० की दर से भंडारण शुल्क देता है ।

(ख) घटिया उर्वरक मंत्रालय द्वारा तैयार की गई कार्यप्रणाली के अनुसार पंजीकृत ग्रेनुलेटिंग तथा मिश्रित एकरों को बेचे जाते हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रेनुलेटड मिश्रण तैयार करने के लिए ये उर्वरक उपयोग किए जाते हैं, हरियाणा राज्य सरकार ने इच्छुक पंजीकृत ग्रेनुलेटिंग तथा मिश्रित एकरों द्वारा निर्यात अनुज्ञा उपलब्ध किये जाने के लिए आदेश जारी किए हैं । राज्य सरकार इन अनुज्ञा पत्रों को यथासंभव जारी करने पर जोर ध्यान देती है । कृषि मंत्रालय ने ग्रेनुलेटिंग/मिश्रित एकरों के इस प्रकार के सभी अनुरोधों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए सभी राज्य सरकारों पर दबाव भी डाला है ।

(ग) तथा (घ) घटिया उर्वरकों का निपटान करने तथा भारोवार तेजी से करने के लिए भी भारत सरकार ने उदारपूर्ण नीति तैयार की है, जिसके अनुसार घटिया उर्वरक निर्यात आदेश के तहत पंजीकृत मिश्रण/विशेष मिश्रण विनिर्माताओं को बेचे जाने होते हैं । ऐसे एकरों से घटिया उर्वरकों में उपस्थित कम पोषक तत्वों के आधार पर तैयार किए गए मूल्यों के 75 प्रतिशत मूल्य लिये जाएंगे, यदि इस मूल्य पर भी कोई माल लेने को तैयार नहीं होता तो भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति को इस बात का विकल्प होगा कि वे इन एकरों के साथ कम मूल्य दरों के संबंध में भी बातचीत करें । घटिया उर्वरकों के निपटान के लिए, इनकी विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट एक पूर्व शर्त है, जिसके लिए राज्यों तथा केन्द्र में सुविधाएं मौजूद हैं ।